खण्ड–483, अंक–1
गुरुवार 25 माघ, शक संवत् 1934
(14 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-12
उपस्थित सदस्य	13-18
राष्ट्रीय गीत	19
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न	19-22
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	22-59
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	59
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2013) (सदन के पटल पर रखा गया)	59
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2013) (सदन के पटल पर रखा गया)	60
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2013) (सदन के पटल पर रखा गया)	60
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2013) (सदन के पटल पर रखा गया)	60
उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	60
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	60
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	61
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (श्री राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	61
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	61-64

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
12. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
35. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
52. इकबाल, श्री — बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
54. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
61. उदयराज, श्री — उन्नाव

62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमा भारती, सुश्री महोबा
66. उमाशंकर, श्री बलिया
67. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
68. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
69. ओम कुमार, श्री बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
73. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
74. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
75. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
76. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
77. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
174. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
175. फेरन लाल, श्री ललितपुर
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
178. बदलू खां, श्री उन्नाव
179. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
180. बाबू खां, श्री हरदोई
181. बाबूलाल, श्री गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
188. बैजनाथ, श्री मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर

197. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
200. मनबोध, श्री देवरिया
201. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
207. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
209. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
212. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
213. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
214. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
215. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
216. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
217. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
218. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
219. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
220. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
221. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
222. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
223. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
224. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
225. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
226. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
227. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
228. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
229. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
230. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
231. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
232. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
233. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
234. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
235. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
236. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
237. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
238. यासर शाह, श्री बहराइच
239. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
240. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
241. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
242. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
243. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
244. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
245. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
246. रणजीत सुमन, श्री एटा
247. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
248. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
249. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
251. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
252. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
253. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
254. रवि शर्मा, श्री झांसी
255. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
256. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
257. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
258. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
259. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
260. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
261. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी

262. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
263. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
264. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
265. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
266. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
267. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
268. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
269. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
270. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
271. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
272. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
273. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
274. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
275. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
276. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
277. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
278. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
279. राम करन आर्य, श्री बस्ती
280. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
281. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
282. राम गोविन्द, श्री बलिया
283. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
284. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
285. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
286. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
287. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
288. राम मगन, श्री बाराबंकी
289. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
290. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
291. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
292. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
293. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
294. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
295. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
296. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
297. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
298. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
299. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
300. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
301. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
302. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
303. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
304. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
305. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
306. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
307. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
308. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
309. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
310. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
311. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
312. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
313. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
314. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
315. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
316. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
317. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
318. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
319. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
320. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
321. विजय सिंह, श्री रामपुर
322. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
323. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
324. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
325. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
326. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
327. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
328. वीरपाल राठी, श्री बागपत

329. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
330. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
331. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
332. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
333. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
334. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
335. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
336. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
337. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
338. शाकिर अली, श्री देवरिया
339. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
340. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
341. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
342. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
343. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
344. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
345. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
346. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
347. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
348. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
349. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
350. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
351. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
352. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
354. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
362. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा

395.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	400.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
396.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	401.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
397.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	402.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
398.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	403.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
399.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	*404.	रिक्त	इलाहाबाद

* श्री महेश नारायण सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-258 हड़िया, जिला इलाहाबाद की दिनांक 11 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्यनिषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, भू-तत्व एवं खनिकर्म, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, पर्यावरण, दुग्ध विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, विकलांग कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण।
2	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।

1	2	3
5	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य
8	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन
9	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद
10	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
11	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण
12	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
13	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान
14	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
15	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
16	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
17	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
18	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
19	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
20	श्री राजेन्द्र चौधरी	कारागार

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री इकबाल महमूद	खाद एवं नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण
2	श्री महबूब अली	परिवहन
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
12	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
13	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
14	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
15	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
16	श्री मानपाल सिंह	परिवहन मंत्री
17	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
18	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण
19	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
20	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
21	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
22	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण
23	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास
24	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण

1	2	3
25	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	माध्यमिक शिक्षा
26	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
27	श्री अलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
28	श्री राम सकल गूजर	कार्यक्रम कार्यान्वयन
29	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य
30	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	सिंचाई
31	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
32	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
33	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	मनोरंजन कर

नेता, विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2012-2013)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-326

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इकबाल, श्री — बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
45. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री — उन्नाव
53. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया

55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओम कुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
59. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. गंगा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
77. गोमती यादव, श्री लखनऊ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
82. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
94. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
95. तसलीम, श्री बिजनौर
96. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
97. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
98. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
99. दलजीत सिंह, श्री बांदा
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
102. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
103. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
106. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
110. धर्मराज, श्री बाराबंकी
111. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
116. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
117. नारद राय, श्री बलिया
118. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
119. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
120. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
121. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
122. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर

123. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
124. पीतमराम, श्री पीलीभीत
125. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
126. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
127. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
128. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
129. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
130. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
131. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
132. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
133. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
134. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
135. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
136. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
137. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
138. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
139. बदलू खां, श्री उन्नाव
140. बब्बन, श्री चन्दौली
141. बाबू खां, श्री हरदोई
142. बावन सिंह, श्री गोण्डा
143. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
144. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
145. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
147. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
148. बैजनाथ, श्री मऊ
149. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
150. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
158. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
159. मनबोध, श्री देवरिया
160. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
161. मनीष रावत, श्री सीतापुर
162. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
163. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
164. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
165. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
166. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
167. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
168. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
169. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
170. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
171. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
172. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
173. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
174. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
175. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
176. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
177. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
178. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
179. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
180. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
181. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
182. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
183. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
184. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
185. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
186. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
187. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
188. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
189. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
190. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद

191. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
192. यासर शाह, श्री बहराइच
193. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
194. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
195. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
196. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
197. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
198. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
199. रणजीत सुमन, श्री एटा
200. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
201. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
202. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
203. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
204. रवि शर्मा, श्री झांसी
205. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
206. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
207. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
208. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
209. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
210. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
211. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
212. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
213. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
214. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
215. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
216. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
217. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
218. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
219. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
220. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
221. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
222. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
223. राम करन आर्य, श्री बस्ती
224. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
225. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
226. राम गोविन्द, श्री बलिया
227. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
228. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
229. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
230. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
231. राम मगन, श्री बाराबंकी
232. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
233. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
234. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
235. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
236. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
237. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
238. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
239. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
240. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
241. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
242. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
243. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
246. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
247. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
248. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
249. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
250. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
251. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
252. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
253. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
254. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
255. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)

256. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
257. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
258. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
259. विजय सिंह, श्री रामपुर
260. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
261. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
262. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
263. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
264. वीरपाल राठी, श्री बागपत
265. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
266. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
267. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
268. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
269. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
270. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
271. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
272. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
273. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
274. शाकिर अली, श्री देवरिया
275. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
276. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
277. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
278. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
279. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
280. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
281. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
282. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
283. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
284. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
285. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
286. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
288. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
289. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
290. संजय कपूर, श्री रामपुर
291. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
292. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
293. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
296. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
297. सन्तराम, श्री जालौन
298. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
299. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
300. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
301. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
302. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
303. सियाराम सागर, डा0 बरेली
304. सीमा, श्रीमती जौनपुर
305. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
306. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
307. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
308. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
309. सुधाकर, श्री मऊ
310. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
311. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
312. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
313. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
314. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
315. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
318. सुल्तान बेग, श्री बरेली
319. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
320. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
321. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी

322. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर	325. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
323. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी	326. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
324. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

वन्दे मातरम्।

वन्दे-मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री हुकुम सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले एक लाइन पढ़ लें।

श्री हुकुम सिंह-

पढ़ देंगे तो मामला बेकार हो जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

बिना पढ़े क्या बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वही मैं कह रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है अगर वह अधूरा हो, नियमों के प्रतिकूल हो, संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा अभिभाषण कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिये। वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा क्यों न बने, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद-176 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें लिखा है कि ''राज्यपाल विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।'' यह 92 पेज का अभिभाषण है। इस 92 पेज में एक भी पंक्ति नहीं है जिसमें महामहिम राज्यपाल ने बताया हो कि मैं विधान मण्डल के सत्र का आह्वान क्यों कर रहा हूं। क्यों बुला रहा हूं। यह होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये। जब संविधान में स्पष्ट प्राविधान है और दो लाइन भी उसके बारे में न हो कि इस कारण से मैंने विधान सभा का सत्र बुलाया है तो मान्यवर, अधूरा हुआ कि नहीं। मान्यवर, यह संविधान के अनुच्छेद-176 का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ और अगर यह अधूरा है और संविधान के अनुच्छेद-176 का उल्लंघन है तो क्या यह कार्यवाही का हिस्सा बनना चाहिये, यह आप देख लें। मैंने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद-176 का उल्लेख किया है और आपकी नियमावली है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम-19 भी देख लें। नियम-19 में दिया है कि 'विधान मण्डल' के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा। इसमें भी संविधान के अनुच्छेद-176 का उल्लेख करते हुए प्राविधान किया गया है कि कारणों का उल्लेख होना चाहिये। कारणों का उल्लेख है नहीं। किसी ने और अच्छी तरह पढ़ दिया हो, हो सकता है कि उनमें भी कहीं गलती रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस 92 पेज में कहीं दो पंक्ति मुझे बता दें जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि इस कारण से यह सदन आहूत किया गया है। मान्यवर, अगर यह नहीं होगा और हम इन सारी बातों को इतना हल्केपन से लेते रहेंगे तो मान्यवर, यह संवैधानिक संस्था है और प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है अगर इसमें भी नियमों और संविधान का पालन नहीं होगा तो कहां होगा ? आप हमारे संरक्षक हैं। हम आपके संज्ञान में यह बात ला सकते हैं। मैंने एक प्रश्न उठाया है चाहे कोई भी कारण हो लेकिन संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है और यहां चूंकि उल्लंघन हो रहा है इसलिये यह अभिभाषण हमारी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकता है। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको इस सदन का बहुत बड़ा अनुभव है और पीठ का भी एक लम्बा अनुभव है। मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के उसी अभिभाषण को पढ़ कर सुनाते हैं, जो महामहिम राज्यपाल जी पढ़ते हैं। यह पूरा सदन गवाह है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इस 92 पेज की अभिभाषण पुस्तिका का एक भी पेज नहीं पढ़ा और मान्यवर, यदि आप पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में एक गलत सन्देश जायेगा कि जो अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया, उस अभिभाषण का पाठन मा0 अध्यक्ष जी ने कैसे किया, एक चीज मान्यवर, चूंकि

यह अध्यक्ष-पीठ हमेशा सदन के दोनों पक्षों का संरक्षण करती है और महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण पुस्तिका है, जिसको अभी मैंने अपने कक्ष में देखा, यह केवल सरकारी दस्तावेज है [xxx] का पुलिन्दा है और मान्यवर, जब महामहिम राज्यपाल जी ने इसे [xxx] का पुलिन्दा और सरकारी दस्तावेज समझ करके पढ़ने से इंकार कर दिया, केवल पन्ना खोल करके वापस चले गये, तो आप यदि इसको पढ़ते हैं मान्यवर, तो यह मान लिया जायेगा कि कहीं न कहीं इस सदन के मा0 सदस्यों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सरकारी काम-काज का दायित्व मान्यवर, आप पर नहीं है, यह सरकार का है। सरकार के दायित्व निर्वहन का कार्य करेगी और महामहिम राज्यपाल जी यह भी समझ करके चूंकि यह [xxx] का पुलिन्दा है, केवल खोखले वायदे हैं और साथ ही साथ 11 महीने में इसमें एक भी न विकास का काम हुआ, न कानून का राज स्थापित करने का कोई काम हुआ, न गुण्डाराज को सुधारने की कोई कार्यवाही हुई, यही समझ करके महामहिम राज्यपाल जी वापस चले गये। जब बैरंग वापस चले गये, तो मान्यवर, चूंकि आप इसको पढ़ने जा रहे हैं, आपने अभिभाषण पढ़ने के लिये इस मद को ले भी लिया है तो मान्यवर, ऐसे हालात में जो अभिभाषण पढ़ा नहीं गया है, उसे आपको नहीं पढ़ना चाहिये और यदि आपकी कोई मजबूरी है, पढ़ते हैं तो मान्यवर, चूंकि यह सरकारी दस्तावेज है [xxx] का पुलिन्दा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियों पर महामहिम राज्यपाल जी अंकुश लगाने में बुरी तरह फेल हुये हैं, इसलिये बहुजन समाज पार्टी महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण का, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका बहिर्गमन करती है और इसको पढ़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह सरकारी दस्तावेज [xxx] का पुलिन्दा है इसलिये बहुजन समाज पार्टी इस अभिभाषण के विरोध में सदन का बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

देखिये हमारी परम्परा में [xxx] शब्द कहना असंसदीय माना गया है, इसलिये [xxx] शब्द जो इन्होंने कहा है, वह असंसदीय है, इसको इस कार्यवाही से निकाल दिया जाय। दूसरा मा0 हुकुम सिंह जी ने जो संवैधानिक प्रश्न उपस्थित किया है, यह व्यवहारिक रूप से आप जानते हैं जब इसका आह्वान होता है, तो यह आह्वान बजट सत्र के लिये है, तो उसका पूरा कारण अपने आप में है कि यह बजट सत्र है और बजट सत्र के लिये उसमें जितना है, सब उन्होंने पूरा ब्योरा दे रखा है, इसलिये यह कहना कि यह संविधान विरुद्ध है। यह उचित नहीं है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी बात, मा0 नेता, विरोधी दल ने कहा कि यह पढ़ा ही नहीं गया, तो यह तो पढ़ने ही नहीं दे रहे थे, पहले यह परम्परा रही है कि जब 05 पृष्ठ या 05 लाइन, 10 लाइन पढ़ करके अन्तिम पैरा पढ़ लिया जाता था तो उसे पढ़ा माना जाता था, यह बहुत दिनों से परम्परा रही है, तो यह पढ़ा हुआ माना जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने दो शिकायतें की हैं, एक तो यह कि यह पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया और दूसरी जो उनकी शिकायत है, बड़ी वाजिब है। अब महामहिम से हम कोई शिकायत नहीं कर सकते, उनसे जबरदस्ती कुछ चीजें उसमें दाखिल नहीं करा सकते। मसलन जो

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इनकी [xxx] थी इनकी सरकार की, एक ऐसी पापी सरकार जिसमें लगभग 70 प्रतिशत मंत्री बर्खास्त कर दिये गये हों। जिन्होंने थानों में बलात्कार करके बच्चियों की लाशें टांग दी हों, एक ऐसी सरकार जिसमें हत्यारे हों और जेलों तक में डाक्टरों की हत्यायें कर दी गई हों। ये सारी चीजें क्योंकि अभिभाषण में शामिल नहीं थीं। न इनकी लूट, न इनकी डकैती, न अपराध और ऐतिहासिक आपराधिक सरकार, ऐसी गिरी हुई सरकार जिसने गरीब जनता के खजाने को लूट खाया हो। आज ही आपने देखा है, हालांकि समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। एक बहुत ही भारी भरकम मंत्री ने, राजा बांदा ने कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, 7 लाख का हाथी 70 लाख में क्यों खरीदा गया ? तो मान्यवर, ये चीजें भी अगर अभिभाषण में होती तो बहुजन समाज पार्टी को इम्तिनान होता। दरअसल, उन्हें सिर्फ इसकी शिकायत है और हमें उनकी शिकायत से सहमत होना चाहिये।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ बात कही और कुछ बातों का उल्लेख किया और खुद एहसास कर रहे हैं कि इनका उल्लेख होना चाहिये था। मान्यवर, आपने उनका उल्लेख क्यों नहीं किया। जो बातें उल्लेख होने लायक थीं कि हाथी 70 में खरीदा गया, 80 में खरीदा गया। उस हाथी की शक्ल हमें भी देखने को मिल जाती थी कि कौन सा हाथी आया है, कौन सा नहीं आया है। मान्यवर, इन्होंने जिक्र तो कर दिया, ये 92 पेज की बजाये 192 पेज का हो जाता, इसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला था। सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला था। आप उन सब घटनाओं का एक श्वेत-पत्र क्यों नहीं दाखिल कर देते, मान्यवर, व्हाइट पेपर बना लेते। इस प्रदेश को पता तो लग जाये कि कभी ये उनके विकल्प बन जाते हैं, कभी वे इनके विकल्प बन जाते हैं और प्रदेश का हाल जो दोनों ने मिलकर किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी का उत्तर तो मैंने दे दिया। ये परम्परा रही है और ये बजट सत्र है। इसका आह्वान में ही हो गया कि ये बजट सत्र है इसलिये कारण तो इसका स्पष्ट हो गया इसलिये इसमें 176 का उल्लंघन नहीं हुआ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसका विधिक निस्तारण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठें तो विधिक पर भी काफी चर्चा हो सकती है फिर हो जायेगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

''मा0 सदस्यगण, गंगा जमुनी तहजीब के लिये प्रसिद्ध और भारत की हृदय स्थली उत्तर प्रदेश के वर्ष 2013 में विधान मण्डल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत् अधिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं, साथ ही आप सबको नववर्ष की शुभकामनायें देता हूं।''

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अनुरोध किया कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के शेष भाग को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले पैरे को पढ़ दिया।

[वर्ष 2013 कई मायनों में याद किया जायेगा। इस वर्ष के प्रारंभ में ही उत्तर प्रदेश विधान मण्डल जहां आप हम सब लोग विराजमान हैं, के 125 वर्ष पूरे होने पर 6 से 8 जनवरी तक उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह मनाया गया, जिसमें विधान मण्डल के सभी सम्मानित वर्तमान व भूतपूर्व सदस्यों को आमंत्रित किया गया। विधान मण्डल के गौरवपूर्ण इतिहास से सम्बन्धित झॉकी प्रस्तुत की गयी जिससे कि युवाओं को अपने अतीत की जानकारी हो सके। इसके साथ ही साथ 1952 की विधान सभा के 3 पूर्व सदस्यों का सम्मान भी किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था, जब देश के राष्ट्रपति महोदय स्वयं हमारे इस विशेष अधिवेशन में पधारे और उन्होंने हमे आशीर्वचन दिया।

इसी वर्ष प्रदेश में इलाहाबाद में विशालतम कुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारा प्रदेश भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्पराओं, सहिष्णुता, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है। आजादी की लड़ाई और उसके बाद एक नये विकासशील देश के रूप में भारत वर्ष को प्रतिष्ठापित करने में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान रहा है, अनेकता में एकता एवं तमाम विविधताओं से भरा यह प्रदेश अपने आप में अनूठा है। धर्म निर्पेक्षता, सह-अस्तित्व एवं सामाजिक सद्भाव इस प्रदेश की जीवनधारा रही है। इसकी अनोखी छटा इलाहाबाद में गंगा यमुना एवं सरस्वती के पावन संगम (कुम्भ नगरी) में देखने को मिलती है, जहां देश के ही नहीं अपितु विदेशों के श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक समागम हो रहा है और इसकी एक झलक पाने के लिये लोग खिंचे चले आते हैं। करोड़ों श्रद्धालु अब तक कुम्भ नगरी में पहुंचकर कुम्भ में स्नान कर चुके हैं।

दिनांक 10-02-2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालू इलाहाबाद पहुंचे थे। श्रद्धालुओं के वापस लौटते समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर घटी घटना अत्यन्त दुःखदायी रही है, जिस पर मेरी सरकार को गहरा दुःख है तथा पीड़ित परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति एवं संवेदना है। मेरी सरकार द्वारा घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं तथा मृतकों के आश्रितों को 7-7 लाख रुपये तथा घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

मेरी सरकार ने चुनाव में जो वायदे किये थे उनको मूर्त रूप देने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटाप व टैबलेट दिये जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ हो चुकी है। लाखों बच्चों को बेरोजगारी भत्ता एवं कन्या विद्याधन वितरित किया जा चुका है। 'हमारी बेटी उसका बल' योजना में भी हजारों बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश जो विकास में पिछले 5 वर्षों में काफी पीछे छूट गया था, मेरी सरकार ने उसे तेजी से आगे लाने का कार्य शुरू किया है। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने व अधिकाधिक पूंजी-निवेश हेतु दिनांक 27-01-2013 से 29-01-2013 तक आगरा में पार्टनरशिप समिट का

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयोजन किया गया, जिसमें देश व विदेश के बड़े-बड़े उद्यमियों, राजदूतों एवं शासकीय प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु उत्साह दिखाया है।

मेरी सरकार किसानो के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कृत-संकल्प है। किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध कराये गये। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 210.14 लाख मी0टन धान का रिकार्ड उत्पादन अनुमानित है। मेरी सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना मूल्य में आशातीत वृद्धि की है। इससे लाखों गन्ना किसानों को लाभ पहुंच रहा है।

मेरी सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त दैवीय आपादा में मृत्यु होने पर मिलने वाली धनराशि की सीमा से एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी गयी है।

समग्र ग्राम विकास विभाग

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामों में विकास की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा-सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय से वंचित हैं।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पांच वर्षों में लगभग 10,000 ग्राम चयनित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 22 विभागों के 36 कार्यक्रम, जिनमें अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित 12 एवं लाभार्थीपरक 24 कार्यक्रम सम्मिलित हैं, संचालित किये जाएंगे। वर्ष 2012-13 में लगभग 1600 तथा अनुवर्ती चार वर्षों में 2100-2100 ग्राम चयनित किये जायेंगे। वर्ष 2012-13 हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त चिन्हांकन के अनुसार 1598 ग्रामों का चयन कर लिया गया है। इन चयनित ग्रामों को भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की कार्य योजना के अनुसार जनपदों में विकास कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गयी है।

ग्राम्य विकास विभाग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न योजनायें यथा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

मजदूरी रोजगार हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 60 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

आवासहीन चिन्हित परिवारों को आवास हेतु आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत यथा-इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक 3.68 लाख परिवारों को आवास

उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2013-14 में इस योजना में लगभग इतने ही परिवारों के लिये आवास निर्माण की योजना है।

ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय रु0 36000 से कम है और बी0पी0एल0 सूची में नाम न होने के कारण जो इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं उन्हें आवासीय सुविधा देने हेतु राज्य सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषित लोहिया ग्रामीण आवास योजना लागू किये जाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 41,000 हैण्डपम्प रि-बोर करने तथा 900 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम स्थापित किये जाने की योजना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार के विशेष प्रयास से वर्ष 2012-13 में प्रदेश की समस्त अवशेष 500 से अधिक आबादी वर्ग की 685 अर्ह बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु रु0 533.35 करोड़ केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुए। इसके साथ ही विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो चुके 7007.15 किमी0 लम्बे मार्गों के उच्चीकरण हेतु रु0 2574.02 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

प्रदेश के तीनों नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 से अधिक आबादी वर्ग की सभी जुड़ने योग्य बसावटों को भी योजनान्तर्गत पक्के मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।

मेरी सरकार द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के प्रत्येक मा0 सदस्य को अपने विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रति वर्ष दी जा रही धनराशि रु0 125.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2012-13 में बढ़ाकर रु0 150.00 लाख कर दिया गया है।

प्राकृतिक आपदा, अग्निकाण्ड एवं दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु विधान मण्डल के प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निधि के अन्तर्गत 25.00 लाख की सीमा तक सहायता किये जाने की अनुमन्यता का नया प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निधि से ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों की कठिनाइयों के दृष्टिगत फायर ब्रिगेड गाड़ियों एवं अन्य उपकरणों का क्रय किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये कार्यदायी संस्थाओं को कोई सेन्टेज चार्ज नहीं दिया जायेगा। पारदर्शिता के उद्देश्य से निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले सभी कार्यों को एन0आई0सी0 के द्वारा वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों के स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर इन समूहों को संस्थागत रूप प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य निर्धन परिवारों को

वित्तीय संसाधन तथा अन्य अनुमन्य लाभ प्राप्त कराना तथा उनकी क्षमता एवं कौशल वृद्धि करके स्थायी जीविका के साधन उपलब्ध कराना है।

योजना के प्रथम चरण में चयनित 22 जिलों के 88 ब्लाकों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है तथा 5 से 7 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के सभी विकास खण्डों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

यह योजना राज्य, जिला व विकास खण्ड स्तर पर समर्पित विशेषज्ञों (डेडीकेटेड प्रोफेशनल्स) की टीम के माध्यम से सरकारी/गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी संगठन, पंचायती राज संस्थाओं एवं बैंकों के सहयोग से क्रियान्वित की जायेगी। योजना के प्रथम चरण के लिये पदों का सृजन किया जा चुका है तथा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

नगर विकास विभाग

जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं यथा-जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट कूड़ा-प्रबधन, जल निकासी, सड़क, परिवहन, पर्यावरण आदि के स्तर में और अधिक सुधार किया जाना है। उत्तर प्रदेश में कुल 630 नगरीय स्थानीय निकायें हैं, जिसमें 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद् एवं 423 नगर पंचायत हैं।

प्रदेश में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श में स्वीकृत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपष्टि प्रबन्धन की क्रमशः 33 व 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के नगरीय परिदृष्य में व्यापक सुधार परिलक्षित हो रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को आगामी 30 वर्षो के नगरीय परिदृश्य/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत 11 पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 235 नए नलकूप, 100 रिबोर नलकूप, 83 उच्च जलाशय, 34 सी0डब्ल्यू0आर0 एवं 3,960 कि0मी0 वितरण प्रणाली तथा 1 जल शोधन संयत्र का कार्य पूर्ण किया गया है।

लखनऊ नगर के ट्रान्स गोमती क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये तृतीय जलकल का निर्माण किया गया है। इस जलकल से मुख्य रूप से भूमिगत जल को न लेकर इन्दिरा नहर से सतही जल प्राप्त कर शोधित जल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश में घरेलू ठोस अपष्टिों के निस्तारण हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम में परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के अन्तर्गत कूड़े-कचरे का डोर-टू-डोर कलेक्शन करके लैण्डफिल तक लाने तथा उसके प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से घरेलू ठोस अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है, जिससे शहरों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 176 नगरीय निकायों में पीपीपी मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित

किया जाना प्रस्तावित है। नागर स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्यो हेतु उनकी मांग पर ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृति करने हेतु ''नया सवेरा नगर विकास योजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लखनऊ शहर के भरवारा में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चालू कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गयी है। यह एस0टी0पी0 एशिया की सबसे बड़ी एस0टी0पी0 है। लखनऊ शहर के विभिन्न नालों के सीवर को टैप करके एस0टी0पी0 तक लाकर शोधित किया जाता है, जिससे प्रदेश की राजधानी को स्वच्छ रखने में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई है।

नदियां पेयजल आपूर्ति की न केवल प्रमुख स्त्रोत हैं वरन् आस्था की भी प्रतीक हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण-मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण-मुक्त किये जाने हेतु ''झील संरक्षण योजना'' क्रियान्वित की जा रही है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों की समस्याओं तथा उनकी आर्थिक विपन्नता के दृष्टिगत उनकी आजीविका के संसाधनों में अभिवृद्धि करने और उनके जीवन स्तर में उन्नयन हेतु अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मेरी सरकार की प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में चिन्हित की गयी प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर उन्हें निःशुल्क मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा दिये जाने की योजना प्रदेश की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनकी आय में सुनिश्चित वृद्धि की व्यवस्था की जा सकेगी।

शहरी निर्धन अल्पसंख्यकों एवं अन्य सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों के समक्ष आवास की समस्यायें निरन्तर महसूस की गयी है। मेरी सरकार द्वारा मेहनतकशों को, जिनकी आय रु0 6000/- प्रतिमाह की आय सीमा तक है, ''आसरा आवास योजना'' के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित की जा रही है। इन आवासों में एक कमरा, रसोई, टायलेट तथा बरामदा होगा, जिसकी अनुमानित इकाई लागत रु0 2.50 लाख है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किया जा रहा है ताकि चिन्हित किये गये आवासहीन परिवारों को तत्परता से आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों मे अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं अन्य मलिन बस्तियों में, जहां उपयुक्त सड़कें नहीं हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग सड़क, नाली, जलनिकासी इत्यादि मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की योजना भी संचालित की जा रही है जिसमें ऐसी बस्तियों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मेरी सरकार द्वारा रामपुर में ''राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना की जा रही है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 10 स्थानों पर लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना किये जाने की व्यवस्था वर्ष 2012-13 में की गयी है। वर्ष 2013-14 में भी 10 शहरों में लघु व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन व्यापार केन्द्रों द्वारा शहरी गरीबों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और गुणवत्तापरक उत्पादों के लिए परामर्शी सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी।

''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' का कार्यान्वयन करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके से संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया जा रहा है जिससे प्रशिक्षण हेतु चयनित लाभार्थियों को सेवायोजन और स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार में स्थापित किया जा सके।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

शहरी क्षेत्रों हेतु ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2912-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 27,266 भूखण्डों/भवनों का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण/प्रगति पर है।

हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्रदेश के क्रमशः 08 विकास प्राधिकरणों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप्स 8150 एकड़ भूमि पर तथा 11 विकास प्राधिकरणों में कुल 31 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स 3470 एकड़ भूमि पर निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही है।

मेरी सरकार द्वारा लखनऊ शहर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीडा शंकुल के निर्माण का निर्णय लिया गया है, इस हेतु 117 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। इस परियोजना की कुल लागत रु0 400.00 करोड़ है। इस परियोजना हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन भी किया जा चुका है।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है, परन्तु आगरा नगर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के दीर्घकालिक निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के तहत 130 किमी0 लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम0एल0डी0) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार द्वारा लखनऊ शहर में 500 एकड़ में ''जनेश्वर मिश्र पार्क'' का विकास/निर्माण किया जायेगा। यह अब तक का सबसे बड़ा पार्क होगा। इसके अतिरिक्त लखनऊ में गोमती नदी तट विकास परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा लखनऊ शहर में विशेष रूप से युवाओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ''जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कन्सल्टेन्ट का चयन किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत कन्वेंशन सेण्टर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्पोर्ट्स एवं एक्वाटिक्स सेण्टर, अतिथि गृह आदि का निर्माण कराया जायेगा, जहां समाजवादी चिंतन व विचारधारा की पूरी जानकारी भी सुलभ होगी।

गाजियाबाद शहर में ''नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। उक्त सड़क लगभग 20 किमी0 लम्बाई में रु0 450.00 करोड़ की लागत से निर्मित करायी जायेगी। इस परियोजना हेतु कन्सल्टेन्ट नियुक्त कर लिया गया है।

आगरा शहर में ''इनर रिंग रोड परियोजना'' को क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु आगरा विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई लगभग 24.50 किमी0 तथा लागत रु0 1100.00 करोड़ है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कन्सल्टेन्ट नियुक्त कर लिया गया है।

समाज के विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों को आर्थिक क्षमतानुसार आवास मुहैया कराने तथा शहरों के सुस्थिर विकास हेतु ''राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति'' लागू की जायेगी।

मेरी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'सबसे लिए आवास योजना' के अन्तर्गत बेघर गरीबों के कम लागत पर उनकी आर्थिक क्षमतानुसार प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा उपलब्धता कराने पर बल दिया जायेगा। सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम 10-10 प्रतिशत इकाइयों के निर्माण, आय-सीमा, भू-खण्ड/भवन का न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित करने, रियायती दर पर भवन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु संशोधित नीति जारी की जायेगी।

नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन प्रणाली को द्रुतगामी बनाने हेतु फिजिबिलिटी स्टडी कराकर मेट्रो/बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। नगरीय यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु नगरों में रेल उपरिगामी सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं, एलीवेटेड रोड तथा मल्टीलेविल पार्किंग का निर्माण/विकास किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा

समाज के सर्वांगीण विकास में प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा मानव को सुसंस्कृत सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है। यह बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। शिक्षा अधिगम को रोचक बनाने, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन एवं खेल-कूद पर बल के साथ गुणवत्तापरक सुधारों हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है। 6-14 वय-वर्ग के समस्त बच्चों को कक्षा 1-8 तक की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा के सूचकांकों में सुधार हुआ है किन्तु आगामी वर्षों में इन सूचकांकों में और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है।

मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा स्कूल यूनीफार्म के दो सेट वितरित किये गये हैं। मानक के अनुसार असेवित ग्रामों में 2311 नवीन प्राथमिक विद्यायलय तथा 313 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी संचालित किये गये हैं।

साक्षर भारत मिशन योजनान्तर्गत 15+वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक शिक्षा साक्षरता प्रदान कर पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के अन्तर को कम करना मुख्य उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं यथा-जिला पंचायत, ब्लाक पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित करके किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेन्शन आदि का भुगतान माह दिसम्बर, 2012 देय जनवरी, 2013 से राजकीय पेन्शनरों की भांति कोषागार से किये जाने का निर्णय भी मेरी राज्य सरकार द्वारा लिया गया और तत्सम्बन्धी बजट व्यवस्था भी की गयी है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में गरीब वर्गो से 25 प्रतिशत छात्र लिये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है जिसे इस शैक्षणिक सत्र से सख्ती से लागू किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा

वर्तमान में 1584 राजकीय, 4478 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 14658 अशासकीय असहायिक कुल 20720 माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की ऐसी छात्रायें जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों और उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 35,000/- से अनधिक हो, को प्रोत्साहन स्वरूप रु0 30,000/- की धनराशि एकमुश्त प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'कन्या विद्याधन' योजना लागू की गयी है।

प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रहने वाली प्रदेश के समस्त वर्गों की बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं को हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त प्रोत्साहन स्वरूप रु0 30,000/- की धनराशि एकमुश्त प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां' योजना वर्ष 2012 से लागू की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा पहली बार प्रदेश में शैक्षिक वातावरण का सृजन करने हेतु 10वीं पास एवं उच्च कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट तथा 12वीं पास एवं उच्च शिक्षारत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप दिये जाने की योजना लागू की गयी है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा सुदूर क्षेत्रों में भी शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 05 किमी0 की परिधि में हाईस्कूल तथा 07 किमी0 की परिधि में इण्टर कालेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत प्रत्येक विद्यालयों में निःशुल्क 10-10 कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। प्रथम तथा द्वितीय चरण में 4000 माध्यमिक विद्यालय योजनान्तर्गत आच्छादित किये जा चुके हैं। तृतीय चरण में 1608 माध्यमिक विद्यालयों में उक्त योजना संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश में 720 अशाकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा 172 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग

मेरी सरकार द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघों के चुनाव की व्यवस्था की गयी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के लिए निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश के असेवित विकास क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में सहशिक्षा/महिला महाविद्यालय खोले जाने हेतु अनुदान दिए जाने की योजना संचालित है।

05 मुस्लिम बाहुल्य जनपदों-गोण्डा, बहराइच, मुरादाबाद, सुल्तानपुर एवं मुजफ्फरनगर में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है तथा इस हेतु सभी जनपदों में भूमि उपलब्ध हो गयी है। सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है। निजी क्षेत्र में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, लखनऊ के संचालन हेतु दिनांक 27-8-2012 को, दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राधिकार-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रदेश के न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों के असेवित/मुस्लिम बाहुल्य वाले 36 विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदक्रम में सम्बन्धित विकास खण्डों में मानक के अनुसार भूमि का चिन्हाकन करा लिया गया है। कुरावली, जनपद मैनपुरी, अहरौला, जनपद-आजमगढ़, देववरमपुर देहात, जनपद-कन्नौज, अलीगंज, जनपद एटा एवं खरखौदा, जनपद-मरेठ में एक-एक राजकीय महिला महाविद्यालय तथा जनपद-बदायूं व जनपद-चित्रकूट में एक-एक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय, चित्रकूट एवं राजकीय महाविद्यालय, ललितपुर को आगामी शैक्षिक सत्र में उच्चीकृत कर स्नातकोत्तर स्तरीय कक्षायें प्रारम्भ किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं युवाओं को रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के लिए कौशल विकास अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में 78 सरकारी पालीटेक्निक और लगभग 230 निजी पालीटेक्निक संचालित हैं, जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता 95000 है। वर्तमान में 70 से अधिक नये सरकारी पालीटेक्निक के भवन निर्माणाधीन हैं। अगले वर्ष इनमें से 35 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें अपने भवनों में संचालित किया जायेगा। सरकारी पालीटेक्निक की प्रवेश क्षमता, जो वर्तमान में लगभग 27000 वार्षिक है, को बढ़ाकर लगभग 40000 तक करने का लक्ष्य है। इन सरकारी पालीटेक्निक में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु वर्चवल क्लास रूप की स्थापना भी प्रस्तावित है। साथ ही ''कम्युनिटी डेवलमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक योजना'' के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा को दूरस्थ गांवों तक पहुंचाते हुए दक्षता विकास में योगदान किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में डिग्री स्तर के 02 तकनीकी विश्वविद्यालय को मर्ज कर उसे पूर्ववत् उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किये जाने एवं मदन मोहन मालवीय

इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक मण्डल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसके अन्तर्गत जनपद सोनभद्र एवं कन्नौज में एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज विहीन आगरा मण्डल के जनपद मैनपुरी में भी एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 220 मुख्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं तथा 47 महिला शाखायें मुख्य संस्थानों के साथ उपलब्ध हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में 11 स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल प्रशिक्षण क्षमता 69,014 है। प्रत्येक व्यवसाय में महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार 1336 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु 1,58,065 सीटें उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर इसमें और वृद्धि की जायेगी।

वर्ष 2013-2014 में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाना प्रस्तावित है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि हेतु उनके द्वारा संचालित लोकप्रिय व्यवसायों में द्वितीय एकक खोला जाना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भवनहीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भूमि एवं भवन की व्यवस्था कराना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा असेवित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना भी प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

मेरी सरकार अपने नागरिकों को पूर्णरूपेण उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। पिछले वर्ष की तुलना में वाह्य रोगी एवं अन्तः रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जोकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बढ़े हुए विश्वास का द्योतक है।

मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में आम जनता की सुविधा के लिये 24+7 अवधि का कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जनशिकायतों के लिए विभाग में टोल-फ्री नम्बर-18001805145 की व्यवस्था की गयी है, जिससे प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा पहली बार मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे प्रदेश में आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत 108 नम्बर की एम्बुलेंस ''समाजवादी स्वास्थ्य सेवा'' प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत 988 एम्बुलेंस का संचालन प्रस्तावित है, जिसमें 841 एम्बुलेंस माह जनवरी, 2013 तक क्रियाशील हो चुकी हैं, जिससे अब तक कुल 74023 रोगियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्व में मरीजों को 03 दिन की औषधियों का वितरण किया जाता था। मेरी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में वर्तमान में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की

औषधियां मरीजों को वितरित की जा रही हैं तथा विशेष मरीजों को 15 दिन की औषधियां प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले के बी0पी0एल0 कार्डधारक या रु0 24,000/- तक वार्षिक आय वर्ग के लोगों व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा एवं उपचार की विशिष्ट सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य निधि में धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में डॉट्स प्रणाली को लागू किया गया है। डॉट्स प्रणाली के अन्तर्गत क्षय रोगियों को उपचार दिये जाने की दृष्टि से 5 लाख की आबादी पर 1 टी0 बी0 यूनिट, 1 लाख की आबादी पर बलगम परीक्षण हेतु 1 माइक्रोस्कोपिक केन्द्र तथा औषधि उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से उनके निवास के अति निकट डॉट्स केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ग्लोबल बीम ''यूनिवर्सल एक्सेस टू टी0बी0 डायग्नोस्टिक एण्ड केयर'' के अन्तर्गत टी0बी0 के रोगियों की गहन रूप से खोज एवं उनके इलाज हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के 72 जनपदों एवं 804 विकास खण्डों में कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवशेष जनपद एवं विकास खण्डों के स्तर पर कुष्ठ रोग के निवारण स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। साथ ही कुष्ठ प्रभावित विकलांग्ता से ग्रसित व्यक्तियों को अधिक संख्या में स्किन्स्ट्रक्टिव सर्जरी प्रदान की जायेंगी।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों को 07 जानलेवा बीमारियों (टी0बी0, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकर खासी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा खसरा) एवं प्रदेश के 36 जनपदों में जे0ई0 से बचाव हेतु नियमित रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। वर्ष 2012 को वृहद् टीकाकरण वर्ष घोषित करते हुए टीकाकरण के चार सप्ताह माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' प्रदेश के 54 जिला महिला चिकित्सालयों, 20 जिला संयुक्त चिकित्सालयों एवं 91 प्रथम संदर्भन इकाइयों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलेवरी सेवा प्रदान करना है।

प्रदेश में ''आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना'' के अन्तर्गत दो वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 8.5 करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनमें से लगभग 6 करोड़ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इनमें से अधिकांश कुपोषण के शिकार होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाले 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की योजना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जाने वाले कक्षा-1 से कक्षा-12 तक के समस्त राजकीय तथा राज्य सहायतित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की जानी है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी का सहयोग लिया जायेगा, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। स्कूल न जाने वाले बच्चों में निर्माण कार्य, ईंट भट्टों के क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार एवं बन्जारे/घुमन्तु जनजाति के परिवारों के बच्चे भी सम्मिलित होंगे।

जिला स्तरीय चिकित्सालयों को डिजिटल एक्सरे एवं कलर डापलर, अल्ट्रासाउण्ड मशीन देने का प्राविधान किया गया है। प्रथम चरण में इस वर्ष में 54 डिजिटल एक्सरे एवं 118 कलर डापलर मशीनें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

वर्ष 2012-13 में मेडिकल कालेज, उरई (जालौन) तथा कन्नौज की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। मेडिकल कालेज, कन्नौज को एम0सी0आई0 की मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त वर्ष 2012 से प्रथम सत्र प्रारम्भ किया जा चुका है। मेडिकल कालेज, उरई (जालौन), सहारनपुर एवं आजमगढ़ में एम0सी0आई0 निरीक्षण हेतु आवेदन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त मेडिकल कालेज, बांदा को भी शीघ्र पूर्ण कर संचालित कराया जायेगा। जनपद बदायूं तथा जनपद जौनपुर में नये मेडिकल कालेज भी आगामी वर्षो में संचालित किये जायेंगे।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शीघ्र केन्द्र की स्थापना की गयी है, जहां 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना भी सरकार वर्तमान वर्ष में करेगी। जनपद कन्नौज में हृदय रोग संस्थान तथा कैंसर संस्थान की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जनपद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एडवान्स रिसर्च विभाग को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेन्टर में पांच महत्वपूर्ण इकाईयां यथा-मॉलीक्यूलर बायोलॉजी, फारेन्सिक ओडोन्टोलॉजी, डी0एन0ए0 फिंगर प्रिन्टिंग जेनेटिक्स/मेडिकल जेनेटिक्स, स्टेम-सेल/सेल-कल्चर समाहित होगी।

प्रदेश में पैरामेडिकल मानव संसाधन के प्रशिक्षण को और उच्च बनाने के लिये कन्नौज, आजमगढ़ तथा झांसी में नये पैरामेडिकल कालेजों की स्थापना की जायेगी।

उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में मल्टी स्पेशियालिटी चिकित्सालय, 100 सीटों का मेडिकल कालेज तथा 17 डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय संचालित है। यहां रोगी सेवाओं का विस्तारण करते हुए इमरजेन्सी एवं बर्न सेण्टर तथा 500 शैय्या के सुपर स्पेशियालिटी ब्लाक का निर्माण प्रस्तावित है।

श्रम विभाग

मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याणार्थ प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 46 जिलों में राष्ट्रीय बाल परियोजना के अन्तर्गत संचालित 819 बाल श्रमिक विद्यालयों में लगभग 37085 बच्चे शिक्षारत हैं।

मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 लागू की गयी है। इस योजना का लाभ प्रदेश के (सामान्य निवासी) 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को मिल रहा है, जो कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउंसलिंग एवं रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग

खाद्य एवं रसद विभाग में वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में गेहूं एवं धान खरीद हेतु रु0 9470 करोड़ 20 लाख 33 हजार का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूं एवं धान खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई।

वर्ष 2012-13 में कुल 50.62 लाख मी0 टन गेहूं की ऐतिहासिक खरीद की गयी है, जबकि वर्ष 2011-12 में मात्र 34.60 मी0टन की ही खरीद की गयी थी। इस प्रकार यह न केवल अब तक की प्रदेश की सबसे अधिक खरीद थी, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक थी। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2012-13 में खाद्य विभाग सहित 9 क्रय संस्थाओं द्वारा 3231 केन्द्रों की स्थापना कर सीधे किसानों से धान खरीद का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 13510 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 61536 कुल 75046 उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण सुचारू रूप से कराया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग

इस वर्ष ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रु0 1120 करोड़ की बजट व्यवस्था है। इस क्रम में माह दिसम्बर, 2012 तक 1260 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गो का नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2012-13 में प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गो/प्रमुख जिला मार्गो एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2012 तक 705 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है।

प्रदेश के पिछड़े पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2012-13 में समुचित बजट व्यवस्था की गयी थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वृहद् सेतु परियोजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2012 तक 30 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के मार्ग नेटवर्क का समुचित अनुरक्षण तथा समय-समय पर निर्धारित चक्र के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के मार्गो का नवीनीकरण कराया जायेगा। भारतीय सड़क कांग्रेस परिवहन मंत्रालय के मानकों का अनुपालन करते हुए नये मार्गो का निर्माण, उच्चीकरण, सुधार कार्य कराया जायेगा। मार्गो के निर्माण व अनुरक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पेवमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम एवं सूचना एकत्रीकरण हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे। विभागों के कार्यो में पारदर्शिता के उद्देश्य से विभागों की कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कराया जायेगा।

प्रदेश के 250 से अधिक आबादी के समस्त ग्रामों/बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार द्वारा डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत चयनित किये

गये समग्र ग्रामों एवं उनकी बसावटों का सर्वांगीण विकास किया जाना है। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन मार्गो से जोड़ा जाना भी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

सामान्य योजना में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में माह दिसम्बर, 2012 तक 931 भवनों, 141 पुलियों एवं 2393 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 858 भवनों, 111 पुलियों तथा 1845 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

फेज-9 विश्व बैंक के अन्तर्गत 10 जनपदों के कुल 143 मार्गों, जिनकी लम्बाई 224.27 किमी0 एवं लागत रु0 105.43 करोड़ है, जिसमें से 101 मार्गों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

सिंचाई विभाग

वर्तमान सरकार के गठन होते ही यह प्राथमिकता तय की गई थी कि आगामी पांच वर्षों में विशेष योजना बनाकर प्रदेश की सभी असिंचित जमीन के लिये सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी, सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड और बाढ़ ग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये भी क्षेत्रीय आधार पर विशेष कार्य योजना बनाकर और आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करके बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्पन्न बनाया जायेगा। साथ ही नहरों से पानी टेल तक ही नहीं खेतों तक पहुंचाया जायेगा तथा खेती योग्य भूमि में जल भराव की स्थिति को खत्म करने हेतु नालों की सफाई करते हुए ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी। इसके अतिरिक्त किसानों को राजकीय संसाधनों से की जाने वाली सिंचाई मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी। शासनादेश दिनांक 27-12-2012 द्वारा सिंचाई के सभी राजकीय संसाधनों यथा-राजकीय नलकूपों एवं नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी गई है तथा चालू सिंचाई परियोजनाओं को आगामी तीन-चार वर्षों में पूर्ण किये जाने हेतु किसानों की भूमि आपसी समझौते के आधार पर लेने एवं भूमि का समुचित मुआवजा देने के बाद ही कार्य शुरू कराने की नति लागू की गई है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में पहली बार पूर्ण पारदर्शिता के साथ मशीनों द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में खरीफ फसल में विभागीय मद से 6528 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद से 1819 कि0मी0 अर्थात् कुल 8347 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई कराई गई है तथा चालू रबी फसल में 30650 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई का कुल लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन विभागीय मद से 7504 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद से 8739 कि0मी0 नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2012-13 की खरीफ फसल में 9563 टेलों पर पानी पहुंचाया गया। चालू रबी फसल में 9814 टेलों पर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अब तक सर्वाधिक है। वर्ष 2012-13 खरीफ 1420 फसली में निर्धारित लक्ष्य 30.935 लाख हे0 के सापेक्ष 29.654 लाख हे0 सींच हुई जो पिछले बीस वर्षों में अधिकतम है। रबी 1420 फसली में अब तक का सर्वाधिक लक्ष्य 44.697 लाख हे0 सींच का निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्थाई समाधान हेतु सम्बन्धित जनपदों का इन्टीग्रेटेड फ्लड प्लान बनाया जा रहा है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण एवं नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के निरन्तर गिरते भूगर्भ जलस्तर के दृष्टिगत वाटर रिचार्जिंग द्वारा जलस्तर ऊपर उठाने हेतु आर0आर0आर0आफ वाटर बॉडीज योजना के अन्तर्गत कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। नहरों के सतत् निरीक्षण एवं जन सामान्य के आवागमन की बेहतर सुविधा हेतु नहरों की पटरियों को पक्का कराने का निर्णय लिया गया है।

आगामी 03 वर्षों में 3,000 नये नलकूपों का निर्माण करने के लिये ''डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण योजनान्तर्गत'' कार्यवाही की जा रही है। ''डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजनाओं'' के अन्तर्गत विभाग द्वारा विशेष पहल करके नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पम्पसेटों की प्रतिस्थापना हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना तैयार की जा रही है। इससे ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ पानी के बेहतर प्रबन्धन में सहयोग मिलेगा।

लघु सिंचाई

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु क्रमशः रु0 5000/- एवं रु0 7000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु रु0 10,000/- प्रति बोरिंग का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट स्थापना हेतु सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये क्रमशः रु0 4,500/- एवं रु0 6,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु रु0 9000/- का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 से निःशुल्क बोरिंग योजना के वर्तमान स्वरूप को परिवर्तित करते हुए इस योजना के अन्तर्गत उक्त अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को एच0डी0पी0ई0 पाइप का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3000) अनुदान अनुमन्य किया गया है।

वर्ष 2013-14 हेतु इस योजना को मनरेगा से डवलेट कर 1,34,400 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

मध्यम गहरे नलकूप योजनान्तर्गत कुल रु0 85,000/- का अनुदान अनुमन्य है जिसमें रु0 10,000/- प्रति बोरिंग एच0डी0पी0ई0 की धनराशि सम्मिलित है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर पर प्रति नलकूप 0.68 लाख अथवा जो भी कम हो, अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 4,968 मध्यम गहरे नलकूप तथा 726 गहरे नलकूप का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

गहरी बोरिंग योजनान्तर्गत अधिकतम रु0 1,10,000.00 अनुदान देय है जिसमें रु0 10,000 प्रति बोरिंग जल वितरण प्रणाली की धनराशि सम्मिलित है।

मेरी सरकार द्वारा ''डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना'' वर्ष 2012-13 से संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को रु0 5.00 लाख तथा सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को रु0 3.92 लाख का अनुदान अनुमन्य किया गया है। उपरोक्त अनुदान में नलकूप निर्माण, जल वितरण प्रणाली एवं ऊर्जीकरण की धनराशि सम्मिलित है। वर्ष 2013-14 में इस योजनान्तर्गत 155 नलकूप निर्माण का लक्ष्य है।

भूमि विकास

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम (सी0ए0डी0डब्लू0एम0) के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 3946.94 कि0मी0 कच्ची गूल, 640.30 कि0मी0 पक्की गूल, 46.98 कि0मी0 जल निकास नाली एवं 3077 संरचनायें निष्पादित कराकर 6510 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रक्षेत्र विकास कार्यों से आच्छादित किया गया है तथा 9.70 लाख रोजगार दिवस का सृजन किया गया और वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 2,00,000 हे0 क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह दिसम्बर, 2012 तक 487 परियोजनाओं के 24.19 लाख हे0 क्षेत्र की रु0 2903.20 करोड़ की परियोजनाओं का अप्रेजल पूर्ण कर क्लीरेंस दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तक रु0 240.32 करोड़ की धनराशि व्यय कर डी0पी0आर0 का निर्माण 11593 अवस्थापनामूलक कार्य, 206177 लाभार्थियों का प्रशिक्षण तथा 142022 हे0 क्षेत्र को उपचारित करते हुए 34.34 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।

औद्योगिक विकास विभाग

प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास को गति प्रदान करने हेतु, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 का पुनरीक्षण कर अवस्थापना तथा मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिये जाने के साथ ही साथ एम0एम0एम0ई0 सेक्टर के विकास पर भी बल दिये जाने के उद्देश्य से 'अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012' लागू की गई है।

प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों को लगाने के लिये उद्यामियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, अनापत्तियां प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु समस्त जिलों में ''निवेश मित्र' व्यवस्था लागू की गई है। 'ई-ब्रिज योजना', जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त स्वीकृतियों हेतु आवेदन करने में विभागों से उद्यमियों द्वारा आन लाइन सम्पर्क करना सम्भव हो सकेगा, को प्रदेश में और अधिक सुदृढ़ता से लागू किया जा रहा है।

प्रदेश में आई0टी0, पार्क, मेगा लेदर क्लस्टर, डेयरी फार्म, फूड पार्क, एन0आई0एम0जेड0 आदि की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आगरा से लखनऊ के मध्य न्यूनतम दूरी के आधार पर आगरा-लखनऊ 08 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराये जाने हेतु पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा परियोजना का संरेखण किये जाने के लिये यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

लघु उद्योग विभाग

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ''अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012'' में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु कई प्राविधान किये गये हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लघु उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गई है और अब उद्यामियों को सरल प्रणाली के रूप में मात्र मेमोरेण्डम दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। उद्यमियों द्वारा अपने उद्यम के मेमोरेण्डम की त्वरित फाइलिंग हेतु आन लाइन दाखिल किये जाने तथा उनकी पावती आन लाइन सीधे

ही प्राप्त करने की व्यवस्था दिनांक 16-11-2012 से प्रारम्भ कर दी गई है। इसमें उद्यमियों को बिना किसी रुकावट के सरलता से उद्योग स्थापना में विशेष मदद मिलेगी।

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना तथा क्लस्टर विकास योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वहीं प्रदेश के वृहद औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें (जैसे सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 28565 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है जिनमें रु0 2169.58 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ तथा 1,79,531 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार की रोजगार सृजन योजनान्तर्गत 11,024 हथकरघा बुनकरों को विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बुनकरों के समग्र विकास हेतु केन्द्र पुरोनिधानित एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिनमें लगभग 17,000 बुनकरों को लाभ दिया जा रहा है। क्लस्टर योजना में जो हथकरघा बुनकर शामिल नहीं हैं, उन्हें ग्रुप एप्रोच योजना के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 8,000 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी वहन की जा रही है।

बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2012-13 में अब तक इस योजनान्तर्गत 1,78,316 स्वास्थ्य कार्ड आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा जारी किये गये हैं। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा बुनकर अंश का 50 प्रतिशत अंश वहन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त जीवन बीमा के रूप में प्रचलित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में अब तक 7472 हथकरघा बुनकरों को आच्छादित किया गया है। पावरलूम कामगारों के लिये समूह बीमा योजना के अन्तर्गत बुनकरों का बीमा कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पावरलूम बुनकरों को वर्ष 2012-13 में अब तक रु0 100 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु ''जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना'' चलाई जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर चयनित बुनकरों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 20,000/-, 15,000/- एवं 10,000/- की धनराशि, प्रमाण-पत्र, शील्ड व अंगवस्त्रम् से पुरस्कृत किया जाता है तथा राज्य स्तर पर चयनित बुनकरों को क्रमशः

रु0 50,000/-, 35,000/- एवं 25,000/- की धनराशि, प्रमाण-पत्र, शील्ड एवं अंगवस्त्रम से पुरस्कृत किया जाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार नवयुवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों, भूमिहीन श्रमिकों, परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत ''मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना'' संचालित की जा रही है। जिसमें आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को रु0 10.00 लाख तक ब्याज रहित ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि सामान्य वर्ग के पुरुषों को 4 प्रतिशत ब्याज देय है। योजनान्तर्गत प्रदेश में माह दिसम्बर, 2012 तक रुपये 122.00 करोड़ के पूंजीनिवेश से 2595 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराते हुए 51,100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

बोर्ड द्वारा संचालित ''व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना, कौशल सुधार योजना'' एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक विभिन्न उद्योगों में 1925 महिलाओं/पुरुषों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे इकाई को सुचारु रूप से संचालित कर सकें। वर्ष 2013-14 में प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 6500 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

खादी से सम्बन्धित कास्तकारों/बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ''जनश्री बीमा योजना'' संचालित की जा रही है, जिससे लगभग 1,20,000 कारीगर लाभान्वित किये जा रहे हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की ओर अधिक जन उपयोगी एवं क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 5 नई योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत खादी वस्त्रों को जनमानस में अधिक आकर्षण एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ''खादी एवं खादी वस्त्रों का डिजाइन विकास'' योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन संस्थानों से डिजाइन तैयार कराये जायेंगे।

ऊर्जा विभाग

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 1598 ग्रामों की समस्त बसावटों का विद्युतीकरण एवं 25000 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है। प्रदेश के 3854 गैर/आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों तथा 30669 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रुपये 3453 करोड़ है।

कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिये स्वतंत्र फीडर की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में कृषि पोषकों को अलग करने के लिये रुपये 1500 करोड़ की धनराशि से कार्य प्रारम्भ किया गया है।

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं पुनर्वास योजना 30,000 से अधिक आबादी वाले 168 नगरों हेतु लागू की गई है। इसका उद्देश्य लाइन हानियों में कमी लाना और ऊर्जा प्रणाली में सुधार हेतु प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।

बुनकरों को बिजली के बिलों में राहत दिये जाने हेतु ''करघों पर बिजली के बकाया बिलों, लगने वाले ब्याज, दण्ड ब्याज को माफ कर बुनकरों को राहत दी जायेगी।'' मेरी सरकार द्वारा किये गये इस वायदें के मुताबिक रु0 177.60 करोड़ की धनराशि माफ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसील स्तरीय नगरों में 10 घण्टे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 17 से 22 घण्टे के बीच विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जैसे-जैसे नई परियोजनाओं का कार्य पूरा होता जायेगा वैसे-वैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की जायेगी।

समाज कल्याण विभाग

मेरी सरकार समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिये कृत संकल्प है। निर्बल वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयशीलता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना को पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। छात्रवृत्ति सुचारु/पारदर्शी/समयबद्ध रूप से वितरित किये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012'' तथा ''उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012'' प्रख्यापित की गई है। वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को, जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 400/- की मासिक पेंशन से ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं और जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा (बी0पी0एल0) की सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के बालक, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने तथा साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक 480 प्रवेश क्षमता के आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन, पाठ्य पुस्तकें आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में कुल 76 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु वर्तमान में 262 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 252 छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निगम के माध्यम से गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु स्वतः रोजगार, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग योजनायें संचालित की जा रही हैं।

मेरी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के निदान तथा कल्याण कार्यों एवं पुनर्वास हेतु सतत् प्रयत्नशील है। पूर्व सैनिकों के

पुनर्योजन, स्वरोजगार, द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों को पेंशन वितरण तथा पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों को विभिन्न मदों में समय-समय पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उद्यामिता विकास एवं स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ मेरी सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं।

10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार ने प्रदेश के रु0 36000/-वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक अभिभावकों के 10वीं पास पुत्रियों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रु0 30,000/-की धनराशि एकमुश्त अनुदान प्रदान करने के निर्णय का क्रियान्वयन किया है।

कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे, को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अल्पसंख्यक सामुदायिक के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिये शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 2,00,000/- है, के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु एवं वक्फ सम्पत्तियों पर होने वाले अवैध कब्जे को रोकने के उद्देश्य से कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहार दीवारी निर्माण योजना लागू की है।

निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10000/- प्रति पुत्री अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की देखरेख व सुदृढ़ीकरण हेतु गठित उ0प्र0 वक्फ विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंशकों के क्रय हेतु अंशपूंजी के रूप में रु0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है, इस धनराशि का उपयोग प्रदेश की वक्फ सम्पत्तियों के वाणिज्यिक विकास हेतु किया जा रहा है जिससे वक्फ सम्पत्तियों की आय में वृद्धि होगी।

प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में हज हाउस का निर्माण किया गया है तथा गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिये अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास की योजना चलाई जा रही है।

मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक डेवलपमेंट प्लान योजना प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा-बुलन्दशहर, बदायूं, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, जे0पी0 नगर,

बरेली, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद में लागू की गई है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों को आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से 14 छात्रावासों (100 छात्र क्षमता के) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रु0 24,2596 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था है, जो गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में लगभग दो गुना है।

कृषि विभाग

विगत कई वर्षों के बाद मेरी सरकार के विशेष प्रयास से कृषकों को समय से पर्याप्त मात्रा में बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 31-01-2013 तक बीज के 5025 नमूनें, उर्वरक के 7344 नमूने तथा पेस्टीसाइड के 4253 नमूनों की जांच कराई गई।

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 165.93 लाख हे0 में खेती की जाती है। मेरी सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में 514.36 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है जिसमें खरीफ में 176.47 लाख मै0टन एवं रबी में 337.89 लाख मै0टन उत्पादन का अनुमान है तथा 7.41 लाख मै0टन तिलहन उत्पादन अनुमानित है।

प्रदेश में गेहूं, चावल एवं दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना'' चलाई जा रही है।

भूमि एव जल संरक्षण में 'रेलफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम' (आर0ए0डी0पी0), बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना, रामगंगा नदी के कटरी क्षेत्र में भूमि सुधार का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड एवं बिन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना, भूमि सेना योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.39 लाख हे0 भूमि का उपचार किया गया है।

कृषकों के व्यापक हितों को देखते हुए नई कृषि नीति जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि विविधीकरण परियोजना-द्वितीय चरण

कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन प्रदेश के 40 जनपदों में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन की योजनायें एकीकृत रूप से संचालित की जा रही हैं। परियोजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हुए लगभग 186313 हे0 क्षेत्रफल को नवीन तकनीकी एवं उच्च उत्पादकता वाली कृषि एवं औद्यानिक फसलों की प्रजातियों से आच्छादित कर परियोजना में 928180 कृषकों को लाभान्वित किया गया है, जिससे कि कृषकों की उपज में वृद्धि के साथ उनकी आय भी बढ़ रही है।

परती भूमि विकास

परती भूमि विकास विभाग द्वारा प्रदेश की निष्प्रयोज्य एवं अकृषियोग्य भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के माध्यम से ऊसर बाहुल्य जनपदों में ऊसर सुधार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं से कृषि उत्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता बढ़ रही है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि भी हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नये स्रोत भी उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना प्रदेश के 28 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है इसका लक्ष्य 1.30 लाख हे0 ऊसर भूमि सुधार तथा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5,000 हे0 बीहड़ सुधार है। इससे लगभग 2.40 लाख कृषक लाभान्वित होंगे जिनमें 33 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तथा 47 प्रतिशत कृषक पिछड़े वर्ग के होंगे।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर आलू व शाकभाजी के क्षेत्र में प्रथम तथा फल उत्पादन में छठा स्थान है।

आगामी वर्ष में प्रदेश में औद्यानिक फसलों के विकास हेतु विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाओं के माध्यम से कृषक प्रक्षेत्रों पर फलों की प्रसंस्करण एवं निर्यात योग्य उन्नतिशील प्रजातियों के नवीन उद्यान रोपण व पुराने उद्यानों के जीर्णोद्धार कराने, उनके द्वारा शाकभाजी एवं मसालों की उच्च उत्पादकता वाली प्रमाणित व संकर प्रजातियों को अपनायें जाने, पुष्प एवं औषधीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने, संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाउस, शेड नेड, मल्चिंग, लो-टनल पॉलीहाउस आदि की स्थापना को प्रोत्साहन, नवीन औद्यानिक तकनीकियों एवं औद्यानिकी में मशीनीकरण के समावेश द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने तथा औद्यानिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन व्यवस्था हेतु पैक हाउस, बहुउद्देश्यीय/बहुकक्षीय शीतगृह, प्याज भण्डार गृह, रीफर वैन, मिनिमल/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट आदि ढांचागत सुविधाओं की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है, जिनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं बड़े शहरों के आस-पास शाकभाजी उत्पादन की राष्ट्रीय पहल योजना, पान विकास की योजना एवं लोहिया पर्यावर्णीय उद्यान की स्थापना प्रमुख है।

औद्यानिक उत्पादों एव अन्य खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा पहली बार ''उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012'' का प्रख्यापन किया गया। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-2013 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू की गई है।

नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजना के अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों व सामान्य कृषकों को पूर्व में देय 60 व 50 प्रतिशत को बढ़ाकर क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

पशुपालन विभाग

देश के दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है तथा मांस उत्पादन में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जन्य पदार्थों के उत्पादन का 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बांझपन निवारण की समस्या के

दृष्टिगत प्रदेश के सभी पशु चिकित्सालयों पर 12000 बांझपन निवारण कैम्पों के माध्यम से 5 से 6 लाख पशुओं का उपचार कर प्रजनन योग्य बनाया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके।

भेड़ पालन, बकरी पालन एवं सूकर पालन, जो मुख्यतः समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिये इनके नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश के कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों हेतु स्वरोजगार के रूप में 44375 बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारण कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मत्स्य विभाग

प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन हेतु किया जा रहा है। इस समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में तालाबों की मत्स्य उत्पादकता 3335 कि0ग्राम/हे0/वर्ष आंकलित की गयी है, जो राष्ट्रीय औसत 2600 कि0ग्रा0/हे0/वर्ष से काफी अधिक है। अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का तीसरा स्थान है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत 5000 हे0 सामुदायिक तालाबों को पट्टे पर आवंटित कराने, 5000 हे0 जलक्षेत्र के तालाबों का सुधार, निजी क्षेत्र में 1000 नये तालाबों का निर्माण, 1,30,000 मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा से निःशुल्क आच्छादन एवं 300 हे0 जलप्लावित भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग तथा 2000 आश्रयविहीन मछुआरों को मछुआ आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ 14 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य पालन विविधीकरण के लिए देशी मांगुर एवं महाझींगा पालन एवं 10 मोबाईल फिश पार्लर की स्थापना तथा 170 करोड़ गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का उत्पादन-वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डास्प एवं राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादकता वृद्धि, दक्षता विकास एवं विपणन अवस्थापना विकास के लिए अभिनव कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

दुग्धशाला विकास विभाग

दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर व बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त आय का एकमात्र साधन है। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलवाने में पी0सी0डी0एफ0 का सराहनीय योगदान रहा है।

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश के 55 जनपदों में सघन मिनी डेरी परियोजना को लागू किया गया है।

गोकुल पुरस्कार योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक दुग्धसंघ से सम्बद्ध समितियों के सर्वाधिक दूध देने वाले सदस्यों को रु0 11000.00 नकद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मनित किया जाता है।

वर्तमान में जनपद लखनऊ में 5 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता के आधुनिक डेरी प्लाण्ट की स्थापना तथा प्रदेश में बन्द दुग्धसंघों के पुनर्संचालन की योजना है। इसके अतिरिक्त जनपद कन्नौज,

आजमगढ़ एवं गाजीपुर में डेरी प्लाण्ट (अवशीतन केन्द्र) की स्थापना तथा जनपद मैनपुरी में अपूर्ण छाछा अवशीतन केन्द्र को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग

प्रदेश के 30 लाख गन्ना किसान एवं उनका परिवार गन्ने की खेती पर आश्रित है। मेरी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों का व्यापक हित संवर्द्धन है, जिसके दृष्टिगत गन्ना किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाए जाने हेतु पेराई सत्र 2012-13 में गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए रु0 290, सामान्य प्रजाति के लिए रु0 280 एवं अनुपयुक्त प्रजाति के लिए रु0 275 प्रति कु0 राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में संस्थापित 124 चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र-23, निगम क्षेत्र-01, निजी क्षेत्र-100) की दैनिक पेराई क्षमता 7.67 लाख टी0सी0डी0 है। दिनांक 29 जनवरी, 2013 तक वर्तमान पेराई सत्र में संचालित चीनी मिलों द्वारा 3907.28 लाख कु0 गन्ने की पेराई कर 346.06 लाख कु0 चीनी का उत्पादन किया जा चुका है तथा गन्ना किसानों को अब तक रु0 4760.92 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु 'चीनी उद्योग, को-जेनेरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013' प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश के पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के जनपदों में नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ को-जेग इकाइयों एवं डिस्टलरी को प्रदेश में कहीं भी स्थापित किये जाने पर जोर दिया गया है। इस हेतु पूंजी निवेश की इच्छुक कंपनी/इकाई को विभिन्न करों में छूट/रियायतें दिया जाना प्रस्तावित है। इससे जहां प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना सुनिश्चित होगी, वहीं को-जेन के माध्यम से ऊर्जा सेक्टर का भी विकास संभव हो सकेगा तथा साथ ही साथ रोजगार के नये अवसर भी सुलभ होंगे। मुख्य रूप से नई चीनी मिलें स्थापित होने से गन्ना कृषकों को अधिकाधिक गन्ना मूल्य प्राप्त होगा एवं लाभदायक गन्ना खेती को बढ़ावा भी मिलेगा।

''गन्ना सूचना प्रणाली'' (एस0आई0एस0) के अन्तर्गत गन्ना किसानों को उनकी गन्ना फसल के सम्बन्ध में आधारभूत संसूचना ऑनलाइन प्रदत्त कराते हुए सर्वे, पर्ची, तौल एवं भुगतान विषयक सूचनाएं तीन माध्यमों यथा-वेबसाईट, एस0एम0एस0 एवं आई0वी0आर0एस0 से उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान तत्परता से हो रहा है। गन्ना क्षेत्रफल का सर्वे जी0पी0एस0 के माध्यम से कराया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 186 प्रतिशत है। 964 केन्द्रों पर एच0एस0सी0 वे ब्रिज लिंक स्थापित कर दिये गये हैं। प्रदेश की गन्ना सूचना प्रणाली (एस0आई0एस0) को भारत सरकार द्वारा ''नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेन्स'' को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है तथा गत वर्ष अक्टूबर माह में राष्ट्रकुल देशों के द्विवार्षिक समारोह में 'कपाम' अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है।

विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों को गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2012-13 के लिये 64 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज, 9.92 प्रतिशत चीनी परता तथा 1500 लाख टन गन्ना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु सघन गन्ना विकास एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से प्रदेश में आधार पौधशाला स्थापन, प्राथमिक पौधशाला

प्रदर्शन, बीज यातायात, बीज/भूमि उपचार, पेड़ी प्रबन्धन, जैव/वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग, क्षेत्र प्रदेर्शन, कृषि यन्त्र वितरण, माईक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण, कृषक जागरूकता हेतु किसान गोष्ठियों का आयोजन, कृषक/कर्मचारी प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में 300 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ में क्रय एवं चीनी विक्रय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के उद्देश्य से शीघ्र ही 'ई-टेण्डर' एवं 'आन-लाइन' चीनी विक्रय प्रक्रिया लागू किया जाना प्रस्तावित है।

घटतौली की शिकायत समाप्त करने हेतु प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों में से पेराई सत्र 2012-13 में 06 मिलों पर 'इलेक्ट्रानिक तौल कांटा' स्थापित किया जा चुका है तथा 03 मिलों पर इसे स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

गृह विभाग

इस वर्ष तीर्थराज प्रयाग (इलाहाबाद) में कुम्भ के पर्व का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला 2013 के दौरान देश विदेश से करोड़ों की संख्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों, प्रतिभाग करने वाले विभिन्न अखाड़ों, साधु संतों, कल्पवासियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रबन्ध किये गये हैं। महाकुभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रदेश की पुलिस बल एवं पी0ए0सी0 के अतिरिक्त 70 कम्पनी केन्द्रीय बल व 02 कम्पनी पी0ए0सी0 तथा 200 पुलिस बल उत्तराखण्ड राज्य से लगाये गये हैं। मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 135 सी0सी0टी0वी0 कैमरें भी स्थापित किये गये हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने के अतिरिक्त असामाजिक व आतंकवादी तत्वों पर भी सतर्क दृष्टि रखेंगे। अग्निकाण्ड की घटनाओं को रोकने एवं बचाव हेतु अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों को भी स्थापित किया गया है। कुम्भ क्षेत्र के पतली गलियों में अग्निशमन हेतु मोटर सायकिल व आदमी की पीठ पर रखकर ले जाने वाले अग्निशमन यंत्रों को भी व्यवस्थापित किया गया है। जल में डूबने से बचाने के लिए नई प्रकार की नावों का बेड़ा तैयार किया गया है एवं फ्लोटिंग प्लेटफार्म भी बनाया गया है।

प्रदेश के 04 बड़े जिलों इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद के कन्ट्रोल रूम को आधुनिकीकृत करते हुए नवीनतम तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था बनाने रखने में पुलिस को सहायता मिले।

प्रदेश की महिलाओं/लड़कियों को आपत्तिजनक फोन काल्स/एस0एम0एस0/ एम0एम0एस0 सोशल नेटवर्किंग साइट्स/इण्टरनेट के माध्यम से उत्पीड़न व सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ आदि की समस्याओं से छुटकारा दिलाये जाने के निमित्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक कॉल सेण्टर 'वोमेन पावर लाईन 1090' की स्थापना की गयी है, इस कॉल सेण्टर में प्रदेश में किसी भी स्थान से कोई महिला सीधी 1090 डायल कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है व उनकी शिकायतें पूर्णतया गोपनीय रखकर उस पर कार्यवाही की जाती है, साथ ही पीड़िता से फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। इस कॉल सेण्टर में दिनांक 15-11-2012 से लेकर अभी तक लगभग 27000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कर उनका निस्तारण करके महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मेरी सरकार के गठन के पश्चात् मार्च, 2012 में आई0पी0एस0 संवर्ग में पुलिस महानिदेशक व अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर 12, पुलिस महानिरीक्षक के पद पर 23, पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर 22, सेलेक्शन ग्रेड में 13, कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान में 03, वरिष्ठ समयमान वेतनमान में 05 अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी।

मेरी सरकार का दृढ़ मत है कि लोक सेवकों को समय से प्रोन्नति आदि का लाभ प्रदान कर उनके मनोबल को बढ़ाया जाय, जिससे कि वे पूर्ण मनोयोग के साथ जनता की सेवा कर सकें। इसी के दृष्गित प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में विगत 3 वर्षों से भी अधिक समय से अवरूद्ध 61 अधिकारियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गयी हैं।

01 मार्च, 2012 से अब तक प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग से भरतीय पुलिस सेवा संवर्ग में 61 अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक पद पर 85 अधिकारियों तथा 122 निरीक्षक/प्रतसार निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी हैं। इसके अतिरिक्त 69 अपर पुलिस अधीक्षकों को प्रान्तीय पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमानों में व 29 पुलिस उपाधीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक के प्रोन्नति कोटे के 49 रिक्तियों के सापेक्ष निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जायेगी।

3698 उप निरीक्षक ना0पु0 एवं 312 प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। 2842 कम्प्यूटर आपरेटरों की भर्ती का अधियाचन उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिस पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। कान्स0 एवं हेड कान्स0 से रेंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 3241 पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही की गयी। कान्स0 पी0ए0सी0 से हेड कान्स0 पी0ए0सी0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर 633 पदों पर प्रोन्नति देने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। पूर्व में विभागीय प्रोन्नति में 10 किमी0 की दौड़ का प्राविधान रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों की मृत्यु/गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण इस विसंगति को दूर करने हेतु नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके उपरान्त विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

पी0ए0सी0 में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु के जवानों को जिला पुलिस की सशस्त्र शाखा में स्थानांतरित करने की नीति बनागी गयी है।

चतुर्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों का मासिक धुलाई भत्ता रु0 20 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 120 प्रतिमाह किया जा रहा है।

बैरेक में रहने वाले पुलिस कर्मियों को, उनके परिवार को सरकारी आवासीय सुविधा न प्रदान किये जाने पर, मकान किराया भत्ता शासन द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिससे पुलिस कर्मी अपने परिवार को किराये के मकान में रखकर परिवार की देखभाल भी कर सकें।

गृह (राजनैतिक पेंशन)

स्वतंत्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्चतर आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान

योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को वर्तमान में रु0 7,489/- की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में एक सहचर सहित पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे, ऐसे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके सम्मान में रु0 3,000/- मासिक सम्मान राशि तथा राजकीय, चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है।

कारागार विभाग

प्रदेश के सभी कारागारों तथा जनपद न्यायालयों को वीडियों-कान्फ्रेन्सिंग से संयोजित किये जाने की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 07 कारागारों में ऐसी इकाईयां स्थापित करायी जा चुकी हैं तथा द्वितीय चरण में 12 कारागारों तथा 12 जनपद न्यायालयों तथा तृतीय चरण में 38 कारागारों तथा उनसे सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में वीडियों कान्फ्रेसिन्ग ईकाइयों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रत्येक कारागार पर बन्दियों की प्राथमिक शिक्षा में (कक्षा-5 से 8 तक) 918 बन्दी तथा हाईस्कूल की परीक्षा में कुल 105 एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 79 परीक्षार्थी सफल हुये इसके अतिरिक्त इग्नू की विभिन्न उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में भी 790 बन्दी परीक्षार्थी सम्मिलित हुये। अपने परिजनों से दूरभाष पर बात करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कारागारों में पी0सी0ओ0 स्थापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

होमगार्ड्स विभाग

होगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्तों पर स्थापित है।

कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में 50,335 स्वयंसेवक प्रतिदिवस प्रतिस्थापित हो रहे हैं। संगठन के स्वयंसेवक साम्प्रदायिक दंगों, पर्वो, मेलों, यातायात, शांति सुरक्षा, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, अग्निशमन, बैंक सुरक्षा, बोर्ड परीक्षा तथा सशस्त्र ड्यूटियों में पुलिस बल को कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रदेश के 14 जनपदों में होमागार्ड्स कार्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 8 जनपदों में जिला होमगार्ड्स कार्यालयों एवं जनपद मेरठ में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है।

होमगार्ड्स की ड्यटी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी बनाये जाने हेतु कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो पाइलट के रूप में कुछ जिलों में संचालित है। इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू कर ड्यटियां लगाने में होने वाली अनियमितताओं को पूर्णरूपेण समाप्त किया जायेगा।

सहकारिता विभाग

किसानों की खुशहाली एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता के प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से 3 लाख रु0 तक अल्पकालीन फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में भी किसानों को 3 प्रतिशत की दर पर अल्पकालीन फसलों ऋण प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृषि भूमि को बन्धक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन की नीलामी से बचाने हेतु सरकार द्वारा उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋण की माफी की योजना अनुमोदित की गयी है।

किसानों को उत्तम किस्म के बीज एवं खाद समय पर उपलब्ध कराने के ठोस इन्तजाम किये गए हैं। इस क्रम में वर्ष 2012-13 के रबी अभियान में उर्वरक के अग्रिम भण्डारण हेतु 8 लाख मै0 टन फास्फेटिक एवं 3 लाख मै0 टन यूरिया का भण्डारण किये जाने के सापेक्ष 7.38 लाख मै0 टन फास्फेटिक एवं 2 लाख टन यूरिया उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण किया गया है। प्रदेश में कृषि निवेशों तथा कृषि उत्पादों (गेहूं एवं धान) के सुरक्षित भण्डारण हेतु सहकारी क्षेत्र में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे को प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी के पैकेज के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यांश रु0 265.68 करोड़ की धनराशि अपमुक्त कर दी गयी है।

वर्ष 2012-13 में रबी हेतु 485.31 हजार कुन्तल बीज वितरित किया गया है।

पंचायतीराज विभाग

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड, के0सी0ड्रेन निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में इन्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु प्रदेश के लगभग 10000 राजस्व ग्राम चयनित कर उन्हें समयबद्ध रूप से 5 वर्षो में विकसित किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011 की गणना के अन्तर्गत 2000 आबादी वाले ग्रामों में रु0 20.00 लाख, 2001 से 5000 तक की आबादी वाले ग्रामों में रु0 30.00 लाख तथा 5001 या अधिक आबादी वाले ग्रामों में रु0 40.00 लाख की सीमा तक व्यय कर आन्तरिक गलियों का निर्माण कराया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा ''भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना'' के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बी0पी0एल0 के अतिरिक्त ए0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु व सीमान्त किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, विकलांग व्यक्ति, ऐसा परिवार, जिसकी मुखिया महिला हो, लाभार्थियों को शौचालय सुविधा से आच्छादित करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत ग्रामीण प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक

शासकीय विद्यालयों में बालकों/बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण एवं स्वीकृत आंगनबाड़ी शौचालयों, सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स तथा ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

न्याय विभाग

मेरी सरकार द्वारा गोमतीनगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रु0 150.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया, जो कार्य वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में न्यायाधीशों के प्रशासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय तथा जनपद न्यायालयों में कुल 75 कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है, जिसके क्रम में 43 कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति की जा चुकी है।

लम्बित वादों के निस्तारण हेतु कुल 300 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निर्माणाधीन अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 70.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में आडिटोरियम एवं महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है।

लम्बित वादों के निस्तारण हेतु प्रदेश में कुल 34 सांयकालीन न्यायालय का संचालन कराया जा रहा है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित किया जाना है, जिसके क्रम में जिन 63 जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित नहीं है उन जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वादों के शीर्घ निस्तारण हेतु 22 विशेष न्यायालय सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन तहसीलों में वाह्य न्यायालय नहीं है, ऐसे 113 तहसीलों पर वाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में चिकित्सा उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की जा रही है।

मा0 उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में चिकित्सा उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की जा रही है।

न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि हेतु रु0 10.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा अधिवक्ताओं के कल्याण कार्यक्रम के संचालनार्थ उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि को वित्तीय वर्ष 2012-2013 में रु0 40.00 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है।

परिवहन विभाग

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 2950.00 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर-2012 तक रु0 2140 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य दुर्घटनाओं में मृतकों व घायलों की संख्या में चिन्ताजनक बढ़ोत्तरी हुई है। इसके प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह से जागरूक एवं सचेष्ट है साथ ही राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प है। इसी परिप्रेक्ष्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने, सुरक्षा उपायों को लागू करने तथा यातायात प्रबन्धन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में सड़क सुरक्षा कोष के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कुशल चालक का होना अत्यन्त आवश्यक है। कुशल चालक के लिए यह आवश्यक है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व विधिवत ड्राइविंग टेस्ट (परीक्षण) किया जाय। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम चरण में 10 कार्यालयों यथा-लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, हरदोई, सीतापुर और गोण्डा में उपलब्ध भूमि पर ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाना प्रस्तावित है।

मार्गों पर ओवरलोडेड माल वाहनों के निरंकुश संचालन के कारण मार्गों की टूट-फूट होती है तथा दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती है। इस समस्या के निराकरण हेतु आई0आई0टी0 कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर यह सुनिश्चित किया गया है कि ओवरलोड मालवाहनों को चेक करने हेतु वे-इन-मोशन की तकनीक के प्रयोग से एक पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा उसके कन्ट्रोल्ड एवं मॉनीटर्ड संचालन के आधार पर उक्त सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 347 कि0मी0 की बस उपयोगिता प्राप्त की गई जो गतवर्ष से 14 कि0मी0 प्रतिबस प्रतिदिन अधिक है।

मेरी सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था शुरू की गयी हैं।

वन विभाग

उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता एवं प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण है। वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु प्रदेश सरकार सतत् प्रयत्नशील है। मेरी सरकार द्वारा इटावा में लायन सफारी का निर्माण कराया जा रहा है।

मेरी सरकार ने लखनऊ में जैव विविधता केन्द्र विकसित करने हेतु कार्य प्रारम्भ किया है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता एवं प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए कानपुर तथा लखनऊ चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण, सारनाथ, वाराणसी स्थित मिनी जू का जीर्णोद्धार करने का भी निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण विभाग

मेरी सरकार की प्राथमिकता के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले समस्त नये कारखानों को अनापत्ति देने की शर्त में शुद्धिकरण संयंत्र ''ई0टी0पी0'' लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गयी

है और जिन पुराने कारखाने को पूर्व में अनापत्ति जारी की गयी है उनमें भी शुद्धीकरण संयंत्र लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सई, घाघरा, राप्ती, वरूणा, काली (पूर्वी), हिण्डन, सरयू, बेतवा और गोविन्द सागर, रिहन्द जलाशय, रामगढ़ लेक, समरपुर लेक, माहिल पाण्ड, लक्ष्मी पाण्ड एवं शुक्रताल के 53 चिन्हित स्थलों पर प्रत्येक माह में एक बार नमूने एकत्र कर जलगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत किया जा रहा है, ताकि नदियों के जल की गुणवत्ता में सभी स्थलों पर सुधार आये।

शीघ्र ही पर्यावरण संतुलन हेतु नई पर्यावरण नीति लायी जा रही है।

पर्यटन विभाग

प्रदेश में वर्ष 2012 में लगभग 1678.64 लाख भारतीय पर्यटक तथा 20.37 लाख विदेशी पर्यटक अर्थात कुल 1699.01 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ आये जबकि वर्ष 2011 में 1554.30 लाख भारती पर्यटक तथा 18.87 लाख विदेशी पर्यटक अर्थात कुल 1573.17 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ आए थे। इस प्रकार वर्ष 2012 में वर्ष 2011 की तुलना में 8 प्रतिशत पर्यटकों की वृद्धि हुई है तथा उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का रूझान बढ़ा है।

पर्यटन के विकास के लिये महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उदाहरणतः, कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं आगरा में ताजगंज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना, आगरा में ताजगंज वार्ड के समुचित विकास का कार्य, मथुरा-वृन्दावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुण्डों/वनों का पुनरूद्धार किया जा रहा है।

राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण व विकास से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। राजमार्गों पर निर्धारित दूरी (50-70 कि0मी0) पर रेस्ट एरिया/जन सुविधायें (ट्यलेट्स, स्वच्छ पेयजल आदि) की व्यवस्था न होने से पर्यटकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक 50 से 70 कि0मी0 की दूरी पर एक रेस्ट एरिया/जन सुविधा का विकास पब्लिक प्राईवेट पार्टरशिप मोड पर कराने तथा राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट में भी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजनायें प्रक्रियाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में मथुरा-वृन्दावन का पर्यटन विकास, आगरा में ताजगंज क्षेत्र का पर्यटन विकास, ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, लखनऊ में बक्शी का तालाब का पर्यटन विकास, इटावा में सेफई में पर्यटन काम्प्लेक्स की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल कपिलवस्तु का समग्र विकास, जनपद ललितपुर में जाखलौन कैनाल पम्प पर पर्यटन सुविधाओं का विकास, धार्मिक नगरी अयोध्या का पर्यटन विकास, दुधवा नेशनल पार्क टूरिस्ट कारीडोर का सौन्दर्यीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती में उच्च स्तरीय सुलभ शौचालय, आगरा में शाहजहां गार्डेन एवं सर्किट हाउस में नहर का जल उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व निर्मित पार्क माइनर के सुधार की नई योजनायें भी प्रस्तावित की गयी हैं।

प्रशासनिक सुधार

मेरी सरकार जन सामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण, उनको बेहतर सुविधायें प्रदान करने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा शासकीय कार्यों को समय से निस्तारित करने के लिये कटिबद्ध है।

जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में मेरी सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि शासन के विभिन्न विभागों के समस्त कार्यालयों के समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय, चाहे वह कार्यालय ब्लाक स्तर, थाना स्तर, तहसील स्तर अथवा किसी भी अन्य स्तर पर स्थित हो, पर मंगलवार तथा रविवार को छोड़कर शेष सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 10-00 बजे से 12-00 बजे के मध्य अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहकर जनता की समस्याओं व शिकायतों को सुनेंगे तथा उन्हें पंजीबद्ध करके शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप उनका निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

मेरी सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जनता दर्शन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है।

नियुक्ति विभाग

राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति न्यायिक वादों के कारण वर्ष 2006 से 2011 तक लम्बित थी। प्रोन्नति न होने से प्रदेश में भारतीयों प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी थी, जिसके कारण राज्य में जहां विकास सम्बन्धी कार्य प्रभावित हो रहें थे, वहीं राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रबन्धन में भी अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। वर्ष 2012-13 में अप्रैल, 2012 से मेरी सरकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर न्यायिक वादों का अंतिम रूप से निस्तारित कराया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार से समन्वय कर राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये चयन वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 हेतु प्रभावी पैरवी की गयी। भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27-11-2012 द्वारा राज्य सिविल सेवा के 111 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्रदान की। प्रदेश को 111 नवनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप अधिकारियों की कमी के कारण हो रही प्रशासनिक कठिनाइयों का निराकरण सम्भव हो रहा है और जनहित के कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 में अप्रैल, 2012 से राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से बाधित प्रोन्नति की प्रक्रिया को बहाल करते हुये राज्य सिविल सेवा के 318 अधिकारियों को विभिन्न वेतनमानों में प्रोन्नति प्रदान की गयी।

कार्मिक विभाग

मेरी सरकार की नीति है कि वंचितों/शोषितों की सीधी भर्ती के स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाय। उक्त नीति के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 02 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत लोक सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। मेरी सरकार की यह भी नीति है कि कार्मिकों में सामंजस्य/भाईचारा

बनाये रखने के उद्देश्य से पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान न किया जाय। राज्य सरकार अपनी उक्त नीति पर दृढ़ है। इसी आधार पर आरक्षण अधिनियम-1994 तथा अन्य नियमावलियों में संशोधन करते हुये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

विगत 06 वर्षों से समस्त विभागों में पदोन्नतियों की कार्यवाही पूणरूपेण बाधित थी। मेरी सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-4-2012 के उपरान्त एक अभियान चलाकार समस्त संवर्गो में समस्त श्रेणी के पदों पर पदोन्नतियां किये जाने की कार्यवाही की गयी है। उक्त के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों एवं अपर विभागाध्यक्षों के पदों पर रिकार्ड अवधि में पदोन्नति समिति की बैठकें आहूत कराकर विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष के 449 पदों पर पदोन्नतियां करायी गयी हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य की लोक सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गयी है।

वर्ष 1994-95 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के 5061 पदों का सृजन किया गया था। उक्त सृजित पदों में से लगभग 30-35 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी थीं। मेरी सरकार द्वारा अवशेष पदों पर अभियान चलाकर शीघ्रतिशीघ्र नियुक्तियां किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 20 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा के प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं। अभी तक 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 219 अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण कराया जा चुका है।

वित्त विभाग

मेरी सरकार के समस्त भुगतानों के लिए ई-पेमेण्ट की परामर्शी व त्वरित व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। ई-पेमेण्ट व्यवस्था लागू हो जाने से प्रदेश के सभी विभागों के वेतन बिल, कोषागारों से वितरित की जाने वाली पेंशन तथा अधिकांश अन्य भुगतान कोषागार द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर कर दिये जायेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त शिक्षकों/कर्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का राजकीय पेंशनरों की भांति कोषागार से भुगतान की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी निर्णय के फलस्वरूप, वे भी उक्त व्यवस्था से लाभान्वित होंगे एवं उनकी पेंशन की धनराशि तुरन्त उनके बैंक खातें में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर हो जायेगी।

संस्थागत वित्त

प्रदेश के कृषकों को समय से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण वितरण हेतु बैंकों से विशेष समन्वय स्थापित करते हुए मेगा कैम्पों का आयोजन कराकर प्रदेश को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा। इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहमति के अनुसार प्रदेश में मार्च, 2014 के अन्त तक 3000 नई बैंक शाखायें खोली जायेंगी। प्रथम चरण में मार्च, 2013 के अन्त तक 300 नई शाखायें खोली जायेंगी।

प्रदेश के सबसे कम ऋण जमानुपात वाले 10 जनपदों से 03 प्रतिशत की वृद्धि मार्च, 2014 के अन्त तक किये जाने हेतु 05 बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक के सहयोग से कार्य योजना तैयार की जायेगी जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं विकास से जुड़े कार्यदायी विभाग भी सहयोग करेंगे।

प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले 21 जनपदों/140 विकास खण्डों में जनसंख्या के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

वाणिज्य कर विभाग

प्रदेश के विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने में वाणिज्य कर का सर्वाधिक योगदान रहता है। वर्ष 2012-13 के वार्षिक राजस्व संग्रह लक्ष्य रु0 38492.18 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2012 तक रु0 24174.38 करोड़ का राजस्व जमा हुआ है, जो गत वर्ष से 21.6 प्रतिशत अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न राज्यों में यह वृद्धि दर इससे काफी कम रही है, यथा-महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत, पंजाब में 19 प्रतिशत, दिल्ली में 13 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत व हरियाणा में 15.7 प्रतिशत हो रही है।

व्यापारियों की कठिनाईयों व परिवादों के निराकरण हेतु शिकायतों को ऑन लाईन पंजीकृत कराने तथा उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्यालय एवं जोनल स्तर पर कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत व्यापारी की मृत्यु हो जाने रु0 4 लाख का बीमा लाभ बीमा कम्पनी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अब तक 64 व्यापारियों को इसका लाभ प्रदान किया जा चुका है।

प्रदेश के व्यापारियों को विभिन्न समाधान योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में सिविल व विद्युत संविदाकारों के लिए, पुरानी गाड़ियों की बिक्री के लिए व टेन्ट व्यवसाइयों के लिये समाधान योजना लागू है तथा प्रान्त के अन्दर से खरीद कर प्रान्त के अन्दर बिक्री करने वाले रु0 50 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारियों के लिए आधा प्रतिशत की समाधान योजना लागू की गयी है। ईट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2012-13 (अक्टूबर से सितम्बर) लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

राजस्व विभाग

निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला एवं वृक्षारोपण हेतु पट्टों का आवंटन, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भूमि अधिग्रहण, चकबन्दी व आपदा राहत सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

उ0प्र0 राजस्व सहिता, 2006 (वर्ष 2012 का अधिनियम संख्या-8) पूर्व में प्रवृत्त 39 अधिनियमों को निरसित करके अधिनियमित कर लिया गया है, तत्सम्बन्धी नियमावली बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचालित है। यह जनसामान्य के लिए अत्यन्त उपयोगी रहेगी।

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत तहसीलों में इन्टरकनेक्टिविटी, भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन, स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना, प्रशिक्षण सेल एवं राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में स्टेट पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं ई-फॉर्म्स योजना लागू की गयी है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्व विभाग से सम्बन्धित 04 सेवायें यथा-आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र व डिजिटली हस्ताक्षरित कम्प्यूटरीकृत खतौनी सम्मिलित है। योजना का शुभारम्भ पूरे प्रदेश में दिनांक 01 अगस्त, 2012 से किया जा चुका है।

उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत जन सामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा राजस्व विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों (आय, जाति, निवास व भूमि का अविवादित नामान्तरण, किसान बही-मूल एवं किसान बही-डुप्लीकेट) के समयबद्ध निस्तारण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें तहसीलदार/उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में जन सामान्य को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। निर्गमन अधिकारी द्वारा निश्चित समय में निस्तारण न करने पर प्रथम अपील व तदोपरान्त द्वितीय अपील की व्यवस्था है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम में संशोधन करने एवं राज्य आपदा प्रबन्धन नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आपदा प्रबन्धन के महत्व को जिले स्तर पर व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित और क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित एन0सी0सी0 राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ-साथ स्काउट एवं गाइड कैम्पों, प्रान्तीय रक्षा दल एवं युवक मंगल दलों में भी आपदा प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण एवं उसकी व्यवहारिक ट्रेनिंग भी कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार ने तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी है। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 10.00 करोड़ की बजट व्यवस्था विद्यमान है। इससे प्रभावित व्यक्तियों को भूमि क्रय कर आवासीय सुविधा हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य सम्पत्ति विभाग

मेरी सरकार द्वारा सचिवालय भवनों में स्थान की कमी के दृष्टिगत दारूलशफा परिसर में एक बहुमंजिला सचिवालय कार्यालय भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

मुम्बई में राज्य अतिथि गृह का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसे शीघ्र ही संचालित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली/नोएडा तथा इलाहाबाद में अतिथि गृह के निर्माण की आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

सूचना विभाग

प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले निविदा सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर डालने तथा नित्य-प्रति जारी होने वाली प्रेस-विज्ञप्तियों को विभिन्न समाचार पत्रों को ई-मेल प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट पर डालने की व्यवस्था सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा

की गयी है। विज्ञापन सम्बन्धी कार्यों में तेजी एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना विभाग से निर्गत होने वाले समस्त सजावटी व टेण्डर विज्ञापनों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

सतर्कता विभाग

विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर प्रदेश की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन देने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। भ्रष्टाचार उन्मूलन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले लोकसेवकों को दण्डित करके विभिन्न विभागों में कार्य का अनुकूल एवं परिणामदायी वातावरण सृजित करने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जारी है।

खेलकूद विभाग

खेलकूद का मानव जीवन के स्वस्थ विकास व नौजवान युवक/युवतियों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये जनपद सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम, बालक एवं बालिका डारमेट्री एवं आवासों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपया 37.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

प्रदेश में 17 जनपदों में 16 खेलों के लिए कुल 35 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं जिनमें 110 बालिकायें एवं 630 बालकों कुल 740 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ-साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षार्थियों पर रुपया 56450/- प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से खेल सामग्री, किट, शिक्षा, चिकित्सा, आहार, फर्नीचर व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व्ययों को वहन करने हेतु व्यय की जाती है।

राज्य के भूतपूर्व खिलाड़ियों जिनके द्वारा विशेष उपलब्धि हासिल की गयी है अथवा खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, के सम्मानजनक जीवनयापन हेतु पेंशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त उन्हें आकस्मिक सहायता भी समय-समय पर प्रदान की जाती है। इस नियमित सहायता के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स मैन वेलफयर ट्रस्ट की स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा की गयी है जिससे खिलाड़ियों तथा उनके आश्रितों को आवश्यकता पड़ने पर उपचार, आश्रितों के विवाह आदि के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

संस्कृति विभाग

प्रदेश में पुरातात्विक गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं प्रदेश के विभिन्न भागों व अंचलों में बिखरी पड़ी प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों/स्मारकों/पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन, डाक्यूमेन्टेशन एवं प्रकाशन आदि का कार्य उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त के साथ ही पुरातात्विक धरोहरों के प्रति जनजागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रदर्शनियों, व्याखानों एवं पुरातत्व अभिरूचि पाठ्यक्रमों का आयोजन भी उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया

जाता है। वर्तमान में पुरास्थलों की खोज एवं संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव करने में पुरातत्व विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष के लिये आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक एवं कुछ अन्य विधेयक भी आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मा0 सदस्यगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की आम जनता के हित में सभी मा0 सदस्यगण मेरी सरकार का सहयोग कर जनांकांक्षाओं को पूरा करने के लिये दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर विस्तृत विचार-विमर्श कर उसका समाधान निकालेंगे और मेरी सरकार ने इस प्रदेश को तेज गति से आगे ले चलने का जो बीड़ा उठया है, उसके पूरा करने में आप अपनी महती भूमिका का निर्वाह करेंगे।]

श्री अध्यक्ष-

अब लास्ट पैरे को पढ़ देता हूं।

''मेरी सरकार ने जन कल्याण के क्षेत्र में समर्पित और सुविचारित नीतियों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां से विकास और तरक्की के अनेक रास्ते निकलते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले चलने में आप सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उत्तर प्रदेश भी अन्य प्रदेशों की भांति अग्रिम पंक्ति में पुनः खड़ा हो सकेगा।

मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सब मा0 सदस्यगण इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सफल जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने और मेरी सरकार के कार्य-कलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया।'' जय हिन्द।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2012)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2013)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूं।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2013)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2013)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2013)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012, जिसे दिनांक 13 जून, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को रखा गया तथा जो विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को अस्वीकार किये जाने के पश्चात् दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हुआ, को संविधान के अनुच्छेद-197 के खण्ड (2) (क) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-152 के उप नियम (2) (क) के अधीन राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा दुबारा पारित किया गया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

भारतीय जमींदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 एवं 10 में कोई सूचना नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 फरवरी, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 14 फरवरी, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 14 फरवरी, 2013 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300 तथा 301 की सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 18 फरवरी, 2013 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय तथा उस दिन प्रश्नकाल न हो एवं नियम-51, 56, 300 तथा 301 की सूचनायें न ली जायं।

3-दिनांक 19 फरवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के दिन प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51 एवं 301 की सूचनायें ली जायं तथा नियम-56 तथा 300 की सूचनायें न ली जायं।

4-दिनांक 19 फरवरी, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ की जाय।

5-नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं हेतु एक घण्टे का समय नियत किया जाय।

6-तद्नुसार 14 फरवरी, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2013

14 गुरुवार — **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

15 शुक्रवार, 16 शनिवार, 17 रविवार — (बसंत पंचमी का निर्बन्धित अवकाश) — बैठक नहीं होगी।

18 सोमवार — निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

19 मंगलवार — **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

20 बुधवार, 21 गुरुवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

22 शुक्रवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
2-विधायी कार्य (आधा दिन) ।

23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

<u>मार्च, 2013</u>

01 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार 05 मंगलवार 06 बुधवार 07 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
08 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन+आधा दिन दिनांक 01 मार्च, 2013 के स्थान पर)।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन) । 2-विधायी कार्य (आधा दिन) ।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

22 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

2-विधायी कार्य (आधा दिन) ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 18 फरवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 52 मिनट पर सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2013 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 14 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 16 विधान सभा (29)-17-4-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।